प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ.नि.ब्यूरो. जयपुर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....125.../2023.....दिनांक...20/05/2023.....

2. (I) अधिनियम ... धारायें: 13 (1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....413..... समय 11:50 PM
(ब) अपराध घटने का वार....शुक्रवार ..... दिनांक 19.05.2023 .
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.05.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 6 कि0मी0
(ब) पता..... सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, योजना भवन राजस्थान, जयपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नामः– श्री विक्रम सिंह
(ब) पिता/पति का नामः– स्व. श्री प्रेम सिंह
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 49 साल.....
(द) राष्ट्रीयताः– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसायः–राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा
(ल) पताः– जालमपुरा पुलिस थाना पीलवा जिला नागौर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री वेद प्रकाश यादव पुत्र श्री रामदेव यादव, जाति यादव, उम्र 57 साल निवासी प्लॉट नम्बर 50, अशोक विहार, चौहान अस्पताल के पीछे झोटवाडा रोड जयपुर पुलिस थाना झोटवाडा हाल ज्वाईन्ट डायरेक्टर डीओआईटी, योजना भवन ,जयपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 2,31,49,500/– रूपये व एक किलो सोने का बिस्किट

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... 2,31,49,500/– रूपये व एक किलो सोने का बिस्किट

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण का पत्र कमांक 16658–60 दिनांक 20.05.2023 के संलग्न श्री विक्रम सिंह, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर की एक जांच रिपोर्ट अन्तर्गत 102 सीआरपीसी दिनांक 19.05.2023 की जांच से आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्राप्त हुई। पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट में अंकित है कि "श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राज.। मार्फतः–श्रीमान पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण)। विषयः–जांच अन्तर्गत धारा 102 सीआरपीसी दिनांक 19.05.2023 पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) की जांच से आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 19.05.2023 को दौराने सांयकालीन गश्त समय करीब 7.50 पीएम पर योजना भवन की DOIT शाखा के बेसमेन्ट में रखी आलमारी में संदिग्ध धनराशि मिलने की सूचना प्राप्त होने पर, रवाना होकर मन थानाधिकारी मय जाब्ता के DOIT शाखा योजना भवन पहुंचा। जहां पर श्री महेश कुमार गुप्ता अतिरिक्त निदेशक, प्रभारी बिल्डिंग मेन्टेनेन्स डीओआईटी, योजना भवन जयपुर ने बमुकाम डीओआईटी कार्यालय योजना भवन जयपुर में एक

लिखित रिपोर्ट इस आशय के पेश की कि दिनांक 18.05.23 को यूआईडी शाखा (बेसमेन्ट वी 2) महेन्द्र सिंह, सहायक प्रोग्रामर द्वारा श्री अमित मीणा स.प्रो. को फाईल स्कैनिंग करने हेतु बेसमेन्ट में रखी यूआईडी की दो अलमारियों को खोलने हेतु आग्रह किया परन्तु वेन्डर श्री दिनेश कुमार एवं श्री मनीष कुमार के व्यस्त होने के कारण अलमारिया नहीं खुल पायी। उक्त वेन्डर भवन की मेन्टनेन्स का कार्य देखते हैं। आज दिनांक 19.05.2023 को दोपहर पहले श्री महेन्द्र सिंह, सहायक प्रोग्रामर एवं कुलदीप जोनवाल, सहायक प्रोग्रामर ने पवन कुमार, सहायक प्रोग्रामर से पुनः आग्रह किया एवं कॉल किया कि फाईलें स्कैन करवाई जानी है और स्कैनिंग वाले जाने वाले है अतः उक्त अलमारियों को शीघ्र खुलवायें। स्कैनिंग के कार्य की महत्ता को देखते हुए दो अलमारियों को चाबी नहीं होने के कारण श्री पवन कुमार द्वारा एक अलमारी को पेचकस द्वारा तोड़ा गया जिसमें फाईलें थी। दूसरी अलमारी को इलेक्ट्रीशियन श्री मनीष कुमार से तोड़ा गया एवं हम दोनों अपने कक्ष में आ गये। लंच खत्म होने के बाद श्री सुरेश कुमार, पारीक प्रोग्रामर, महेन्द्र सिंह सहायक प्रोग्रामर एवं कुलदीप जोनवाल सहायक प्रोग्रामर अलमारी के समक्ष खड़े हुए थे, जब श्री पवन कुमार वहां पहुंचे एवं उनके ही द्वारा, अलमीरा मे दो बैग रखे हुए थे जिसमें से पीठू बैग को खोला गया तथा जिसमें नोट भरे हुये थे तथा दूसरा एक और ट्रॉलि बैग जिस पर ताला लगा हुआ है। इसके तुरन्त बाद पवन कुमार ने मेरे कक्ष में आकर इस संबंध में मुझे जानकारी दी। मैं यूआईडी शाखा में कार्यरत श्री राकेश कुमार वर्मा उपनिदेशक एवं उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। इस प्रकार भारी मात्रा में संदिग्ध धनराशि मिली है, इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" उक्त लिखित सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर, आदेशानुसार पुलिस कन्ट्रोल रूम जयपुर से विडियोग्राफर/फोटोग्राफर श्री लोकेश कुमार कानि. 9977 व श्री श्रवण कुमार कानि. 10911 एवं एफएसएल मोबाईल टीम को मौके पर बुलवाया गया। सूचनाकर्ता श्री महेश कुमार गुप्ता एवं मामूरा उपरोक्त मौतबिरान, एफएसएल मोबाईल टीम एवं विडियोग्राफर/फोटोग्राफर को हमराह लेकर सूचनाकर्ता के बतायेनुसार बेसमेन्ट वी 2 यूआईडी शाखा पहुंचा। बेसमेन्ट में मुताबिक सूचना उक्त दोनों आलमारियों का अवलोकन किया गया जो खुली हुई थी जिनमें से एक आलमारी में फाईलें भरी हुई थी तथा दूसरी आलमारी में एक पीठू बैग (लेपटॉप बैग) बरंग काला व एक ट्रॉली बैग बरंग महरूम जिस पर SKYBAGS लिखा हुआ है, रखे हुये मिले, जिनकी उपरोक्त सभी की मौजूदगी में फाटोग्राफी/विडियोग्राफी करवाई गई। काले रंग के पीठू बैग (लेपटॉप बैग) को चैक किया तो उसमें दो हजार व 500 रूपयें के नोट भरे मिले तथा दूसरे महरूम रंग के ट्राली बैग जिस पर SKYBAGS लिखा हुआ है, पर चैन बन्द ताला लगा हुआ मिला। बेसमेन्ट की गैलरी सांकडी होने तथा वहां अन्य सामान रखा होने से जगह कम होने के कारण उपरोक्त पीठू बैग (लेपटॉप बैग) व एक ट्रॉली बैग को सुरक्षित रूप से उसी स्थिति में उपरोक्त सभी की मौजूदगी में बेसमेन्ट से उठाया जाकर, ग्राउण्ड फ्लोर पर बने मिटिंग हॉल में लाया गया। मिटिंग हॉल की टेबल पर रखा जाकर, ट्रॉली बैग की चैन व लॉक को पेचकस की मदद से खुलवाया गया तो उसमें भी 500 व 2000 रूपये के नोट भरे मिले एवं ट्रॉली बैग में एक पीले रंग की धातूनुमा संभवतया सोने का बिस्कुट मिला। जिस पर अंग्रेजी मेंगोल राउण्डनुमार अक्षरों में ARGOR.HERAEUS SA बीच में AH तथा नीचेSWITZERLAND, 1 KILO Gold 995,0 N66150 खुदा हुआ है। जिसकी लम्बाई 11 सेमी, चौडाई 5 सेमी व मोटाई .70 सेमी है। दोनों बैगो में भरे नोटों को बैगों से बाहर निकलवाया जाकर, टेबल पर रखा गया, उक्त नोटों की गड्डियों पर लगे रबर बैण्ड पुराने होने के कारण लगभग टूटे हुये एवं चिपके हुये थे। उक्त नोटों की गिनती हेतु एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक से 3 नोट गिनने की मशीन व कर्मचारी/अधिकारी को बुलाया गया। जिनके द्वारा नोट गिनने की उक्त तीनों मशीनों की सहायता से, सभी की मौजूदगी में नोटो पर लगे पुराने व चिपके हुये टूटे–फूटे रबर बेण्ड हटाकर गिनती की गई तो 2000 रूपयें के कुल 7298 नोट कुल राशि 1,45,96,000/– रूपये तथा 500 रूपये के कुल 17107 नोट कुल राशि 85,53,500/– रूपयें होना पाया गया, जिस पर 2000/– रूपये एवं 500/– रूपये के 100–100 नोटो की अलग–अलग गड्डिया बनाकर, नये रबर बेण्ड लगायें गये। जिनका कुल योग 2,31,49,500/– रूपये होना पाया गया। उपरोक्त 2,31,49,500/– रूपये तथा एक पीले रंग की धातूनुमा संभवतया सोने का बिस्कुट को संदिग्ध परिस्थितियों में छुपाकर रखे जाने के कारण, उपरोक्त रूपयें व सोने का बिस्कुट चुराई गई सम्पत्ति या किसी अपराध से संबंधित होने की संभावना के मध्यनजर उपरोक्त रूपयें व सोने की बिस्कुट को उसी ट्रॉली बैग व पीठू बैग में डालकर व नोटो की गड्डियों पर लगे पुराने रबर बैण्ड को एक प्लॉस्टिक की थैली में रखकर, उपरोक्त सभी को एक प्लॉस्टिक के कट्टे में डालकर शील्ड मोहर किया जाकर, धारा 102 सीआरपीसी में जरिये फर्द जब्त किया गया। मन थानाधिकारी मशरूफ जांच हुआ।

दौराने जांच घटनास्थल से जिस अलमारी में से रूपयों से भरा पीठू बैग (लेपटॉप बैग) व ट्रॉली बैग मिला था, का निरीक्षण कर, टूटे हुये लॉक को जरिये फर्द जब्त किया गया। डीओआईटी स्टोर इंचार्ज श्री वेदप्रकाश यादव ज्वाईन्ट डायरेक्टर से विवादास्पद आलमारी किसको अलॉट की गई थी, बाबत पूछा गया तो वह बताने में असफल रहा। इसी तरह आलमारी की

चाबी के बारे में भी अनभिज्ञता जाहिर की। जबकि स्टोर इंचार्ज होने के नाते श्री वेदप्रकाश यादव का दायित्व था कि आलमारी अलॉट करने संबंधी रिकॉर्ड संधारित करना चाहिऐ था। सघन पूछताछ पर श्री वेदप्रकाश यादव ने, जिस आलमारी से संदिग्ध धनराशि व सोने का बिस्कुट बरामद हुआ था, की चाबी स्वयं के पास होना व स्वयं द्वारा ऑपरेट करना बताया। आलमारी में रखे रूपयें व सोना खुद का बताया। स्टोर इंचार्ज होने के कारण व विभागीय क्रय कमेटी का सदस्य होने के नाते विभिन्न सरकारी कार्यों के टेण्डर लेने वालो से मिली कमीशन राशि में से यह धनराशि व सोना होना बताया।

दौराने जांच डीओआईटी कार्यालय योजना भवन में लगे सीसीटीवी फुटेज को घटना दिनांक 19.05.2023 से लेकर पीछे की तिथियों में लगातार चैक किया गया तो पाया कि दिनांक 08.05.2023 को जिस आलमारी में से, संदिग्ध राशि पीठू बैग (लेपटॉप बैग) व ट्रॉली बैग में भरी हुई जब्त की गई थी, उसी आलमारी को ताला खोलकर, डीओआईटी अधिकारी श्री वेदप्रकाश यादव आलमारी में रखे पीठू बैग (लेपटॉप बैग) को निकालकर आलमारी के वापिस ताला लगाकर, बैग ले जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तथा उसी समय कुछ समय बाद वापिस आकर उसी आलमारी को ताला खोलकर, उसमें पीठू बैग (लेपटॉप बैग) को वापिस अन्दर रखकर, वापिस ताला लगाकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर उक्त सीसीटीवी फुटेज को पैनड्राईव में लिया जाकर, जरिये फर्द जब्त किया गया। उक्त श्री वेद्रपकाश यादव पुत्र श्री रामदेव यादव उम्र 57 साल जाति यादव निवासी प्लॉट नं. 50, अशोक विहार, चौहान अस्पताल के पीछे झोटवाडा रोड जयपुर थाना झोटवाडा जयपुर हाल ज्वाईन्ट डायरेक्टर डीओआईटी योजना भवन जयपुर से पूछताछ की जाकर, जांच बयान लेखबद्ध किये जाकर, शामिल जांच किये गये।

अब तक की जांच से यह पाया गया है कि वेदप्रकाश यादव, संयुक्त निदेशक, डी.ओ. आई.टी. के पद पर कार्यरत है तथा डी.ओ.आई.टी में खरीददारी के संबंध में स्टोर शाखा का इन्चार्ज है। दौराने जांच सी.सी.टी.वी फुटेज से यह पाया गया है कि दिनांक 08.05.2023 को उक्त अलमारी के पास संदिग्ध वेदप्रकाश यादव जाता हुआ दिखाई दे रहा है तथा उक्त अलमारी को चावी से खोलते हुये अलमारी के अन्दर से पीठु वेग निकालकर अपनी पीठ पर रखकर एवं अलमारी को वापस ताला लगाकर जाते हुये दिखाइ दे रहा है तथा कुछ समय बाद ही वापस आते हुये पीठु बैग पीछे कन्धे पर लगा हुआ है तथा उसी अलमारी के पास आकर अलमारी को चावी से खोलकर वापरा बैग को अलमारी में रखकर अलमारी के ताला लगाकर वापस जाता दिखाई दे रहा है। संदिग्ध वेदप्रकाश यादव से दौराने जांच अलमारी में रखे पीठू बैग एवं ट्रोली बैग में से बरामद धनराशि 23149500/– एवं पीले रंग का धातुनुमा संभवतया सोने का बिस्कुट के संबंध में पूछताछ की गई तो संदिग्ध ने यह बताया की डी.ओ.आई.टी. में जो खरीददारी होती है उसकी परचेजिंग कमेटी में, मैं सदस्य हूँ तथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्टेशनरी आदि की खरीददारी में कमीशन प्राप्त होता है इसी तरह इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले, ई मित्रा प्लस रूरल मशीन, ई मित्रा प्लस अरबन मशीन आदि के टेन्डर दिलवाने में भी मैं मदद करता हूँ जिसके बदले 2 प्रतिशत कमीशन मिलता है यह पैसा इकठ्ठा कर सुरक्षा की दृष्टि से मेरे कार्यालय कक्ष के पास बेसमेन्ट में स्थित अलमीरा में करीब दो करोड तीस लाख रूपये तथा एक किलो सोने के बिस्कुट को एक पिठु बैग एवं ट्रोली बैग में भरकर मैने ही रखे है इस अलगीरा की चाबी मेरे पास है।

इस प्रकार अब तक की जांच से आरोपी अधिकारी के कार्यालय कक्ष के बाहर रखी अलमीरा में बरामद धनराशि 23149500/– एवं सोने के बिस्कुट आरोपी के कब्जे में होना पाया गया है तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध नें जांच बयान में बताया की स्वयं के नाम से पार्थ नगर, जगतपुरा जयपुर में जे.डी.ए. पट्टे का 252 मीटर का भूखण्ड, फागी रोड में स्वंय एवं अपनी पत्नी सरला यादव के नाम दो प्लाट, कालवाड रोड पर सुशांत सिटी में अपनी पत्नी के नाम एक भूखण्ड तथा अन्य प्लाट होना भी बताया, स्वयं के नाम आई.10 कार, यामा स्कूटी, एक्टिवा आदि तथा तीन बच्चे रितु यादव, जिसने फैशन डिजाईनिंग में पुणे से डिप्लोमा किया है तथा वरखा यादव छोटी पुत्री द्वारा बी.काम आनर्स एवं पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग में किया है तथा पुत्र आकाश यादव जे.ई.सी.आर.सी. से बी.बी.ए. कर रहा है तथा पत्नी सरला यादव गृहणी है जिसकी कोई आय नहीं है। इस प्रकार अपने सन्तानों की उच्च शिक्षा पर भी धनराशि खर्च की गई है। आरोपी के घर तलाशी के दौरान नगद राशि, प्रोपर्टीज के कागजात एवं आभूषण मिलने की पूरी संभावना है।

संदिग्ध वेदप्रकाश वर्ष 1994 में डी.ओ.आई.टी. में राजस्थान सरकार में प्रोग्रामर के पद पर नियुक्त हुआ था तथा पदोन्नति उपरान्त वर्तमान में ज्वाईन्ट डाईरेक्टर के पद पर कार्यरत है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त पदावधि में अपने वेतन तथा अन्य वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय के मुकाबले कई गुना अवैध आय अर्जित की गई है। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर अवैध आय, प्रापर्टी में किये गये निवेश, प्रोपर्टी, बैंक खाते एवं लॉकर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च आदि की जानकारी मिलने की पूरी संभावना है।

इस प्रकार की अब तक कि सम्पूर्ण जांच से यह पाया गया है कि संदिग्ध अधिकारी वेदप्रकाश यादव संयुक्त निदेशक ने अपने पदावधि के दौरान अपने आप को अवैध रूप सारवान समृद्ध बनाया है तथा उक्त बरामद नगद धनराशि तथा सोने के बिस्कुट का आरोपी के पास आय के विधिपूर्ण स्त्रोत होना भी नहीं पाया। उक्त नगद राशि एवं सोने के बिस्कुट के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है उक्त आरोपी का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13 (1)(बी) सहपठित धारा 13 (2) में दंडनीय होना पाया गया है अतः ऐसी स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु नियमानुसार उचित माध्यम श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित की जानी उचित होगी।

(विक्रम सिंह पु.नि.)
अनुसंधान अधिकारी
पुलिस थाना अशोकनगर
जयपुर (दक्षिण)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा विना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वेद प्रकाश यादव, संयुक्त निदेशक, कार्यालय सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 125/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

20.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 943-47 दिनांक 20.5.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

20.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।